न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 14/2017

श्री पदमचन्द जैन उचित मूल्य दुकानदार पुरानी/नई अरवड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. सरकार जरिए उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा 2. सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
–अपीलार्थी		**–रेस्पोडेण्ट**

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1976 विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 69/2015 निर्णय दिनांक 04.05.2016

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन – अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक :19.03.2022

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1976 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्तर्गत मामले में प्रार्थी प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के पत्र क्रमांक/रसद/2012/605 दिनांक 16.04.2012 के अनुसार अपीलार्थी डीलर की जॉच करने पर प्रार्थी प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा अपीलार्थी डीलर के विरूद्ध की गई जाँच में निम्न गम्भीर अनियमितताएं पायी गयी 1. डीलर द्वारा माह फरवरी मार्च 2012 में 657 लीटर केरोसीन तेल, 4920 किलोग्राम आटा व 1150 किलोग्राम गेहूं को दुर्भावना पूर्वक रोककर उपरोक्त राशन की उपभोक्ताओं के बीच नही बांटकर उनके हितो पर कुठाराघात किया गया। प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने दिनांक 19/04/2012 पत्रांक से अवगत कराया कि विपक्षी अपीलार्थी पदमचन्द जैन उचित मूल्य दूकानदार पुरानी/नई अरवड तहसील शाहपुरा द्वारा राशन सामग्री वितरण में की गई उपरोक्त अनियमितताओं बाबत आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन के कारण डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 437/1996 उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेश क्रमांक/रसद/2012/435–41 दिनांक 26.03.2012 से अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया गया। अटैचमेन्ट ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगरिया के साथ किया गया। पुलिस थाना फूलिया में डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 41 दिनांक 08.05.2012 को प्रवर्तन अधिकारी शाहपुरा द्वारा दर्ज करवाई जाना बताया, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.06.2016 को प्रस्तुत किया कि (अ) 657 लीटर केरोसीन के सम्बन्ध में निवेदन है कि दोनों सेन्टरों का 4000 लीटर केरोसीन आया जो 2355 लीटर वितरण किया जाकर शेष 1645 लीटर केरोसीन ईटडिया जी.एस.एस. को दिया गया। (ब) 4920 किलो आटे के सम्बन्ध में निवेदन है कि कुल आटा 850 बेग प्राप्त हुआ जिसमें से 492 बेग आटा वितरण किया गया एवं शेष आटा 36 ईटड़िया जी.एस.एस. को दिया। (स) 1150 किलो गेहूँ के सम्बन्ध में विवेदन है कि समस्त योजनाओ का गेहूँ 90 क्विंटल प्राप्त हुआ तथा 110.18 किलो पूर्व का स्टॉक था जिसमें से 101.50 क्विंटल गेहू ईटड़िया जी.एस.एस.को दिया, जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न कर रहा हूँ तथा शेष 98.88 क्विटल गेहूँ स्टॉक रह गया जो गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा केरोसीन आटा एवं गेहूँ वितरण में कोई अनियमितता नहीं की गई। उपरोक्त कार्यवाही मेरे प्रति गैर मौजूदगी में मुझे फंसाने के हिसाब से की गई थी। मैंने मेरे जवाब में जिला कलक्टर, भीलवाडा एवं पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को उस समय प्रतिलिपि दी एवं जवाब प्रस्तुत किया जिसे रेकॉर्ड पर लिया जाकर अप्रार्थी अपीलार्थी पदमचन्द जैन का जारीशुदा प्राधिकार पत्र संख्या 437/1996 को निरस्त करते हुऐ जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का आदेश दिनांक 04.05.2016 को पारित किया गया, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी की और से यह अपील निम्न उजरात के साथ श्रीमान के यहाँ प्रस्तुत है।

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.05.2016 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी अप्रार्थी को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये बिना ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा अपनी जाँच में बताया कि अप्रार्थी पदमचन्द जैन ने फरवरी मार्च माह 2012 में राशन सामग्री वितरण में डाइवर्जन करने, गबन करने एवं काला बाजारी में मुनाफा खोरी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुचित विक्रय से अपराधिका विश्वासघात के जरिए अनुचित लाभार्जन उठा काला बाजारी में विक्रय किया है तथा उपभोक्ताओं को उनके हिस्से की राशन सामग्री से वंचित कर उनके हितों पर कुठाराघात किया जाकर राज्य सरकार के साथ अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन करके आपराधिक विश्वासघात किया है उक्त तथ्य बिल्कुल गलत, झुठे एवं बेबुनियाद अंकित किये है बल्कि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी ने उपभोक्ताओ को राशन सामग्री एवं केरोसीन, आटा, गेहूं नियमानुसार वितरण किया है जिनका इन्द्राज विक्रय रजिस्टर में किया जाकर उनके हस्ताक्षर लिये एवं राशन कार्ड में इन्द्राज किया जो बिल्कुल सही है तथा अपीलार्थी ने अनुचित रूप से किसी प्रकार का स्टॉक नही रखा, राशन सामग्री का जो स्टॉक बचा रहता उसे अपीलार्थी द्वारा ईटडिया जी.एस.एस. में जमा करवा दिया जाता जिसकी रसीदे जवाब के साथ प्रस्तुत की गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब का एवं प्रस्तुत रसीदों का अवलोकन किये बिना ही प्रत्यर्थी की जाँच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को एवं एफआईआर दर्ज होने को आधार मानते हुए अपीलार्थी का जारी सुदा प्राधिकार पत्र संख्या 437/1996 को निरस्त किया जाने का जो आदेश पारित किया है वह निरस्त होने लायक है। अपीलार्थी के विरुद्ध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है वह बिल्कुल ही फर्जी एवं पुलिस वाले की मिली भगत से हुई है, जिसमें अपीलार्थी पूर्ण रूप से निर्दोष है एवं उसमें बरी होगा। केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता एवं अपीलार्थी के रोजगार को छिनने के आशय से ग्राम पंचायत के कुछ असामाजिक तत्वों ने शिकायत दर्ज करवा, सरकारी कर्मचारियो से मिली भगत कर झुठी एवं बेबुनियादी जानकारी देकर जाँच रिपोर्ट बनाई है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थी द्वारा माह फरवरी मार्च 2012 में 657 लीटर केरोसीन के सम्बन्ध में निवेदन किया कि दोनों सेन्टरों का 4000 लीटर केरोसीन आया जो 2355 लीटर वितरण किया जाकर शेष 1645 लीटर केरासीन ईटडिया जी.एस.एस. को दिया गया। 4920 किलो आटे के सम्बन्ध में निवेदन है कि कुल आटा 860 बेग प्राप्त हुआ जिसमें से 492 बेग आटा वितरण किया गया एवं शेष आटा 385 बेग ईटडिया जी.एस. एस को दिया एवं 1150 किलो गेहूँ के सम्बन्ध में विवेदन है कि समस्त योजनाओ का गेहूँ 90 क्विंटल प्राप्त हुआ तथा 110.18 किलो पूर्व का स्टॉक था जिसमें से 101.50 क्विंटल गेहूँ ईटडिया जी.एस.एस. को दिया जिसकी प्राप्ति रसीद है तथा शेष 98.68 क्विंटल गेहूँ स्टॉक रह गया जो गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा केरोसीन, आटा एवं गेहूँ वितरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई, न ही दुर्भावना पूर्वक राशन सामग्री को उपभोक्ताओं के बीच नहीं बांट कर कुठाराघात किया है लेकिन ग्राम पंचायत के कुछ असामाजिक तत्व जो कि अपीलार्थी से राजनैतिक द्वैषता रखते है, ने सरकारी कर्चारियो से मिली भगत कर अपीलाधी द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा शेष स्टॉक को ईटडिया जी.एस.एस. को सौपाने के उपरान्त भी जाँच रिपोर्ट मे उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं बांटने का तथ्य अंकित किया है जो कि बिल्कुल ही गलत है जिसको साबित करने का अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पूर्ण रूप से साक्ष्य एवं रेकॉर्ड प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही एवं जॉच अधिकारी ने दौराने जाँच कार्यवाही कर जो पर्चा मौका संधारित किया एवं पंजिकाएँ आदि जब्त सरकार की गई को पत्रावली में लाये बिना ही, तुरता फुरती में अपीलार्थी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज होने को सही मानते हुऐ निर्णय पारित कर अपीलार्थी के नाम पर जारी सुदा प्राधिकार पत्र संख्या 437/1996 को निरस्त करने में अधिनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूल की है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के नाम पर जारी सुदा प्राधिकार पत्र सख्या 437/1996 को निरस्त करने एवं जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश पारित कर दिये जाने से अपीलार्थी बेरोजगार हो गया है व अपीलार्थी पर आर्थिक संकट आ गया है तथा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के परिवार के भुखे करने की नौबत आ गई। अपीलार्थी के पास कृषि भूमि भी नहीं है एवं न ही कोई रोजगार का साधन है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के नाम का जारी सुदा प्राधिकार पत्र संख्या 437/1996 को बहाल किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। विवादित निर्णय जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा पारित किया गया जिसकी अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से यह अपील श्रीमान के यहाँ प्रस्तुत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय दिनांक 04.05.2016 को पारित किया गया, जिसकी अपील अन्दर अवधि में प्रस्तुत नही हो पायी क्योंकि अधिनस्थ न्यायायल द्वारा जो निर्णय पारित किया गया उसकी अपीलार्थी को किसी प्रकार से जानकारी नही थी हाल ही में दिनांक 07.04.2017 को रसद कार्यालय में सम्पर्क करने पर विवादित निर्णय होने की जानकारी हुई तथा नकल हेतु दिनांक 07.04.2017 को आवेदन करने पर नकल दिनांक 17.04.2017 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक 17.04.2017 से अपील अन्दर अवधि में प्रस्तुत है जिसके लिए दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत है। अपील उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2016 को निरस्त फरमाया जाकरए अपीलार्थी के नाम जारी सुदा प्राधिकार पत्र संख्या 437/1996 को बहाल किया जाने का आदेश प्रदान कराया जायें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गवाहान के जो बयान संलग्न है उन बयानों में गवाहान के हस्ताक्षर नहीं किये हुए है मात्र पुलिस थाना, शाहपुरा में टाईपशुदा बयान की प्रति संलग्न है। इसी प्रकार न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा के निर्णय की प्रति के अवलोकन में पाया गया कि गवाहान द्वारा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा में बताया गया कि उनसे खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये गये थे एवं अपनी साक्ष्य में इस बात का कोई कथन उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा उनके सामने भौतिक सत्यापन की कोई कार्यवाही की गई हो। संबंधित प्रवर्तन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गयी जबकि समस्त कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा की गई है जिसमें तैयार किये गये मौका पर्चा पर भी संबंधित प्रवर्तन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। राशन डीलर के विरूद्ध कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा की गयी है, परन्तु न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा में मुकदमा में वे स्वयं साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए है।

अपीलार्थी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पुरानी अरवड़ के साथ–साथ नई अरवड़, तहसील शाहपुरा का भी उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया जाता है, जिससे सामग्री के भंडारण की जगह कम पड़ने से उसके आवास में स्थित उचित मूल की दुकान के पास के कमरे में सामग्री का भंडारण किया जा रहा था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा उक्त सामग्री को जांच/भौतिक सत्यापन में शामिल नहीं किया गया एवं न ही राशन कार्डो से वितरण की पुष्टि की गई है।

उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा निरीक्षण के दौरान राशनकार्ड धारकों के बयान भी नहीं लिये गये एवं न ही जांच रिपोर्ट तैयार करते समय सम्पूर्ण सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया। जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी/राशन डीलर के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा में दर्ज मुकदमा में अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपखण्ड अधिकारी, के आदेश दिनांक 16.04.2012 के आधार पर जिला रसद अधिकारी, भीलवाडा का आदेश क्रमांक/रसद/प्रकरण/69–2015/2016/120 दिनांक 04.05.2016 एवं प्रकरण सं. 69/2015 निर्णय दिनांक 04.05.2016 त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने से अपास्त योग्य ठहरता है। अतएव–

आदेश

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक/रसद/प्रकरण/69–2015/2016/120 दिनांक 04.05.2016 एवं प्रकरण सं. 69/2015 निर्णय दिनांक 04.05.2016 को अपास्त किया जाता है एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा–पत्र संख्या 457/1996 पुनः नियमानुसार बहाल करने संबंधित कार्यवाही संपादित करें। निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 19.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा